रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1975/फाल्गुन 10, 1896
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1975/PHALGUNA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March 1975

G.S.R. 138(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 10/75-Central Excises, dated the 1st February, 1975 the Central Government hereby fixes a tariff value of Three hundred and Thirty rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of Section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 73/75]

G. S. MAINGI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1975

सा० का० नि० 138(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 फरवरी, 1975 की अधिसूचना सं० 10/75 के० उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद स० (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए तीन सौ तीस रुपया प्रति क्विंटल मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है ।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन की जाने वाले के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी ।

[सं० 73/75]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव ।

CORRIGENDA

In the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 95-Cus.|F. No. 503|11|74-Cus. VI, dated the 1st January, 1975 published as G.S.R. 1(E) on pages 1 and 2 in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (i) dated the 1st January, 1975, the following corrections are to be made:—

On page 2, under column 3 of the schedule,—

(1) against serial No. 8 *for* the figure "80.10" *read* the figure "8010";

(2) against serial No. 9 *for* the figure "36.90" *read* the figure "3690".

शुद्धिपत्र

दिनांक 1 जनवरी, 1975 के भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II—खण्ड 3— उपखण्ड (i) में पृष्ठ 2 और 3 पर सा० का० नि० 1 (अ) के रूप में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की दिनांक 1 जनवरी, 1975 की अधिसूचना सं० 95—सी० शु० फा० सं० 503/11/74—सी० शु० 6 में निम्नलिखित शुद्धियां की जाएं :—

पृष्ठ 3 पर, अनुसूची के स्तम्भ 3 के अधीन ,—

(1) क्रम सं० 8 के सामने अंक "80.10" के स्थान पर अंक "8010" पढ़िये ;

(2) क्रम सं० 9 के सामने अंक "36.90" के स्थान पर अंक "3690" पढ़िये ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975